अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2019 (RCMS 2019/00231) श्री गोपाल सिंह सोलंकी, बी/बी–2, नवलखा अपार्टमेंट, भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर मोबाईल नम्बर 98299–95829 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

27.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोपाल सिंह सोलंकी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के वेतन से हर्जा खर्चा प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोपाल सिंह सोलंकी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझ आवेदक द्वारा एक पत्र दिनांक 27.07.2019 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, श्रीगंगानगर को भेजा गया था जिसका विषय "सिंगरासर ग्राम पंचायत की अंग्रेजी शराब की दुकान को विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम पंचायत अर्जुनसर स्टेशन, बीकानरे की भूमि पर अवैध रूप से आवंटित कर देने वाले आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित अपराध में शामिल अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्रवाई कर उक्त दुकान को अवैध लॉकेशन से हटाने बाबत" था। जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि में अतित्वरित उपलब्ध करावें।
>
> 1. यह कि उक्त भेजे गये पत्र की प्रति।
> 2. यह कि उक्त भेजे गये पत्र को डाक आवक जावक रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर इन्द्राज किया गया उसकी प्रति।
> 3. यह कि उक्त भेजे पत्र के संबंध में चलाई गई समस्त नोटशीटें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. यह कि उक्त भेजे गये पत्र के संबंध मे की गई समस्त कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज मय फाईल कवर।
5. यह है कि उक्त दिए गए पत्र पर की गई समस्त कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करावें।
6. यह है कि उक्त दिए पत्र के संबंध में किसी अन्य कार्यालय/विभाग से कोई पत्राचार किया गया है तो उसकी प्रति मय डाक आवक–जावक रजिस्टर।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ** ने अपने पत्रांक विविध/सूकाअ/19/ 1789–90 दिनांक 11.09.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2019 व इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 26.08.2019 इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना 6 पृष्ठ में है।

अतः वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार फीस प्रतिपृष्ठ 2/– रूपये के हिसाब से 6 पृष्ठों के 12/– रूपये (सुविधानुसार पोस्टल ऑर्डर) इस कार्यालय में जमा करवायें ताकि आपको नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

-sd-
(रामावतार कुमावत)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

क्रममांक सम/1789–90 दिनांक 11.
09.2019

प्रतिलिपि :– निरीक्षक, आबकारी विभाग, सूरतगढ को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2019 की बिन्दु सं. 5 में चाही गई सूचना का सम्बन्ध आपके कार्यालय से होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति। प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उक्त पत्र के द्वारा राशि जमा करवाने के आदेश दिये जा चुके है एवं बिन्दु संख्या 5 का सम्बन्ध आबकारी विभाग से होने के कारण उसे भी सूचित कर दिया है। इसलिए अपीलार्थी उक्त राशि जमा कर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। **इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर